

विचार बिन्दु

अकर्मण्यता के जीवन से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु श्रेष्ठ होती है।

—चंद्रशेखर वैकट रमण

फांसी की सजा का कोई औचित्य नहीं

कहते हैं, भारत एक ऐसा देश है, जहाँ प्रत्येक बात के लिये कानून है, किन्तु लागू करने में अत्यन्त शिथिलता है। धर्म प्रधान देश है, किन्तु जघन्य अपराध करने में कठोरतम सजा फांसी से भी भारत के लोग भयभीत नहीं हैं। निर्भया, दिशा और अभी अभी अपराजिता के केस यहाँ हुये। आजी कर मेडिकल की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का बलात्कार और बाद में उसकी हत्या ने, महिलाओं की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर, देश की आत्मा को झकझोर दिया है। समूचा देश दु:खी है उदेलित है सुरक्षा के लिये आन्दोलन कर रहा है। प्रत्येक जघन्य, क्रूर अपराध के बाद कानून में सजा को कठिनतम बनाया है। 10 वर्ष की सजा के स्थान पर फांसी की सजा का प्रावधान किया है, किन्तु रेप की घटनाओं में कमी नहीं हुई। हाल ही की यह घटना 8 अप्रैल, 2024 की रात्रि की थी। दिनांक 28 अगस्त की रात्रि की गंगारेप की घटना जैसलमेर महिला थाने पर दर्ज किया गया है। ये घटनायें मानवता के लिये कलंक हैं। लेखक डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने अपने एक लेख में बतलाया है कि 2012 में निर्भया काण्ड के बाद कानून कठोर तथा फास्ट स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के उपरान्त भी रेप हत्याओं में बल्लोत्तरी हुई है। निर्भया एपिसोड के समय 24915 केस हुये तथा 2022 में यह संख्या बढ़कर 31516 हुई।

इंग्लैण्ड में 100 वर्षों पूर्व में किसी महिला कर्मचारी के चम्मच की चोरी व ब्रेड चुराकर खाने पर फांसी की सजा सरे आम दी जाती थी। उस समय की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि जब फांसी की सजा दी जा रही थी तो उस समय कई लोगों की जब कटी थीं। अर्थात् फांसी की सजा का भयातुर प्रभाव नहीं था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसी समय फांसी की सजा को बंद कर दिया। वहाँ फांसी की सजा आज भी नहीं है। फांसी की सजा कई देशों में नहीं दी जाती। यह भी सच है कि भारत, चीन व यूएसए में मौत की सजा दी जाती है। जस्टिस भगवती ने मृत्युदण्ड को संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के तहत Ultra Vires करार दिया था। Cr.P.C की धारा 354 में केवल प्रति विशिष्ट मामलों में मौत की सजा देने की व्यवस्था है। अप्रकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1977 में मृत्युदण्ड की सजा का उल्लेख है किन्तु वहाँ की संविधान पीठ ने उसे Unconstitutional करार दिया है।

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 तथा बाद में हुये अन्य अनुबंधों में यह सहमति बनी कि अन्तर्राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता देश यह अपेक्षा करते हैं कि फांसी की सजा को समाप्त किया जावे और इस संबंध में जो भी संभव उपाय हैं वे किये जावें तथा वे सब सहमत हैं कि:—

Article 1, (2)

"Each State party shall take all necessary measures to abolish the death penalty with its jurisdiction."

अधिकांश देशों की धारणा है कि मौत की सजा का Deterrent effect नहीं है। दिनांक 28.04.1989 को Commission, Human Rights ने प्रचण्ड मत से मृत्युदण्ड पर Moratorium लगाया था।

उपरोक्त सहमति व अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा की पुष्टभूमि में हमें यह विचार करना है कि क्या दुष्कर्म विरोधी ममता दीदी के बिल में दोषी को मृत्युदण्ड (फांसी) दिये जाने की जो व्यवस्था है, उसका कोई औचित्य है? लेखक इस विचार से सहमत है कि दोषियों को कठोरतम सजा दी जावे; किन्तु फांसी की सजा के पक्ष में नहीं है। बंगाल विधानसभा ने बिल पारित किया है उसे राज्यपाल को भेजा जावेगा और वे मंजूरी के लिये राष्ट्रपति को भेजेंगे। बंगाल राज्य ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। तुणमूल विपक्षी दलों में है, ऐसी स्थिति तथा उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय संधि के होते हुये क्या राष्ट्रपति इसे स्वीकृत प्रदान करेंगे यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। यहाँ पर लिखना समीचीन होगा कि पहले भी आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र ने मौत की सजा को अनिवार्य किया था, किन्तु उन्हें स्वीकृति (मंजूरी) नहीं दी गई है। बंगाल के गवर्नर ने ममता के Anti Rape Bill को राष्ट्रपति को भेज दिया है।

अपराजिता बिल अथवा Anti Rape बिल जिसे राज्य विधानसभा ने शीर्षक दिया है वह है, "अपराजिता वीमन एण्ड चाइल्ड (वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल है। क्रिमिनल लॉ के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को है।

इंग्लैण्ड में 100 वर्षों पूर्व में किसी महिला कर्मचारी के चम्मच की चोरी व ब्रेड चुराकर खाने पर फांसी की सजा सरे आम दी जाती थी। उस समय की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि जब फांसी की सजा दी जा रही थी तो उस समय कई लोगों की जब कटी थीं। अर्थात् फांसी की सजा का भयातुर प्रभाव नहीं था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसी समय फांसी की सजा को बंद कर दिया।

है अपराजिता में उग्र कैद या मौत की सजा का प्रस्ताव है। बीएनएस में पीड़िता की पहचान बताने पर 2 वर्ष की सजा, अपराजिता में 3 से 5 वर्ष की सजा जुर्माना। बीएनएस की धारा 65(1), 65(2), 70(2) में 16, 12 व 18 वर्ष के अपराधियों के लिये रियायत है किन्तु अपराजिता में सबको समान सजा का प्रस्ताव है।

यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि राज्यों को अलग कानून बनाने का अधिकार है, किन्तु केन्द्रीय कानून संशोधन नहीं कर सकता। यदि कोई राज्य इस प्रकार कार्य करता है तो राज्यपाल विधेयक को मंजूरी के हेतु राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। (बिल राष्ट्रपति को भेजा जा चुका है।)

बंगाल विधान सभा द्वारा पारित अपराजिता बिल सर्व सम्मति से पारित हुआ है। इसके लिये कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं:—

- थाने के आँसी (अधिकारी) को एफआईआर दर्ज होने के 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी।
- जांच पूरी न होने पर 15 दिन अतिरिक्त दिये जा सकते हैं।
- हर जिले में विशेष अदालत स्थापित होगी।
- पीड़ित को पैरवी के लिये विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जावेगी।
- इस बिल में पीड़िता की मौत या गम्भीर मरिक्ता शक्ति का शिकार होने पर दोषी की मृत्युदण्ड और अन्य दोषियों को बिना पैरोल उग्रकैद सजा का प्रावधान है।
- इसमें कोई मतभेद नहीं है कि दुष्कर्म के मामलों में परिस्थितियों की गम्भीरता के साथ, सजा की सख्ती होनी चाहिये। फांसी की सजा के प्रावधानों का डेटेरेन्ट प्रभाव नहीं है ऐसा अधिकांश देश मानते हैं। भारत यूएनओ का सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों का यदि भारत हस्ताक्षरकर्ता है तो सन्धियों की शर्तों की पालना करना उसका दायित्व है। इस बाबत संविधान के अनुच्छेद 51 में यह स्पष्ट निर्देश है कि State Treaty Obligation की पालना करेगा। जैसा ऊपर चरणों में अभिव्यक्त किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार फांसी की सजा Abolish करना देश का कर्तव्य है। देखें:— [Second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 41/128, annex, 44 UN GAOR Supp (No.49) at 207, UN Troc A/44/49 (1989) entered in 15 force, July 11, 1991]
- देश ने भी अनुभव किया है फांसी की सजा की कठोरता का भी बलात्कारियों पर कोई असर नहीं हुआ है। निर्भया में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया; किन्तु बेअसर साबित हुआ। ममता दीदी के फांसी की सजा के बिल को प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि वह उक्त संधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। भारतीय न्याय संहिता की धारायें 64, 66 व 70 भी जिनमें फांसी की सजा दिये जाने का प्रावधान है वे भी संधि के प्रावधानों के सामने नत मस्तक हैं।
- फांसी की सजा जिस व्यक्ति को दी गई है उसे क्षमा याचना अथवा सजा को उग्र कैद में Commute कराने का अधिकार संविधान में दिया गया है। यह कदम भी मृत्युदण्ड को समाप्त करने जैसा है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को क्षमा का यह अधिकार क्रमशः अनुच्छेद 72 व 161 में दिये हैं। इसी का उल्लेख अन्तर्राष्ट्रीय संधि, 1966 के Part-III अनुच्छेद 6 के उपचरण 4 में दिया है, वह इस प्रकार है:—

Pardon or Comutation of the sentence of death may be granted in all cases."

यहाँ may शब्द का प्रयोग है, किन्तु इसका अर्थ है shall क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को कार्य करने का निर्देश नहीं दे सकता। वह केवल प्रार्थना ही कर सकता है। संसार के लगभग 130 देश फांसी की सजा को समाप्त कर चुके हैं। वर्तमान में भारत में मौत की सजा फांसी की फंड़े पर लटका कर दी जाती है। उग्रकैद की सजा (आजीवन कारावास) को भी विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। आजकीन कारावास का अर्थ क्या बीस साल अथवा इससे ज्यादा अथवा कम हो अथवा जीवन की समाप्ति तक है इसे स्पष्ट करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मौत की सजा (फांसी की सजा) के विकल्प के रूप में क्या सजा हो सकती है? इस पर चर्चा व चिन्तन होकर आधिकारिक निर्णय होना चाहिये। लॉ कमीशन को यह काम सौंपा जावे सजा ऐसी हो, जिससे अभियुक्त को तथा बलात्कारियों को रुह कांप उठे और अमानवीय भी न हो। जो भी आतंकवादी गिरफ्तार किये गये हैं, उनकी यही इच्छा रहती है कि उन्हें फांसी दी जावे। उसे मरने की चिन्ता नहीं है। आतंकी तो मरने के लिये ही आतंकी बनता है।

—अतिथि सम्पादक,

पानाचन्द्र जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भारत के संविधान के होते हुए, क्या सार्थकता है मनु स्मृति पर यदा-कदा की निरर्थक बहस का?



महावीर सिंह

गतांक से आगे.....

उन्होंने सृष्टि बनाई (1.15)।

श्लोक 1.31 के अनुसार सदैव

अदृश्य ईश्वर ही मनुष्यों को ब्राह्मण,

योगी, गुरु, राजा, मंत्री, चोर, डाकू

आदि-आदि बनाता है। प्रलय, सृष्टि

सृजन की यह बातें छोटे-मोटे

परिवर्तनों के साथ हर धर्म के ग्रन्थों में

मिलेंगी। श्लोक 1.33 के अनुसार

ब्रह्मा में चार वर्ण बनाए। मुख से

ब्राह्मण, बुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से

वैश्य व पैरो से शुद्र बनाए अर्थात् वर्ण

व्यवस्था भगवान् कृत है और कौन

मनुष्य किस वर्ण में जन्म लेगा यह भी

भगवान् ही निर्धारित करता है। श्लोक

1.34 के अनुसार ब्रह्माजी ने अपने

शरीर के दो भाग किए—एक स्त्री व

दूसरा पुरुष बनाया। इनके मेल से पूरी

मनुष्य जाति बनी।

मनुस्मृति की सृष्टि रचना और

जीव जगत की बातें, डार्विन के जीवों

के क्रमिक बदलाव व उन्नयन के

सिद्धांत व आधुनिक भौतिक की

वैज्ञानिक खोजों से कृतार्थ मेल नहीं

खाती। प्रथम अध्ययन के श्लोक

संख्या 1.89 से 1.93 तक विभिन्न

वर्णों के कर्मों का निर्धारण किया। शुद्र

का काम केवल और केवल बिना बैर,

द्वेष के अन्य तीन वर्णों की सेवा करना

बताया है। श्लोक 1.96 के अनुसार

ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले जन्मा

ब्राह्मण के बोलों मेंवैश्व से ही पृथ्वी,

अंतरिक्ष आदि में निर्वास करने वाले

देवता अपना हृद्य वपितर अपना कव्य

प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कोई प्राणी नहीं। श्लोक 1.97-98 आदि पर भी सभी प्राणियों में ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ बताया है। 1.102 के अनुसार तो ब्राह्मण की कृपा से ही दूसरे लोग अन्न, वस्त्र व अन्य वस्तुएँ प्राप्त कर उपभोग करते हैं।

उपरोक्त श्लोक व इनकी विभिन्न व्याख्याएँ वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में, किसी भी दृष्टि से संविधान व अन्य कानूनों व तर्क अनुरूप नहीं कही जा सकती। अर्थात् अधिकतर बातें अमान्य हैं। श्लोक 2.33 के अनुसार विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों के नाम भी उस वर्ण के कर्म के अनुसार हों जैसे क्षत्रिय के लिए अजय, विजय, शुद्र के लिए राम सेवक, चन्द्र दास आदि। दूसरे अध्ययन में ही कौन वर्ण कैसे वस्त्र धारण करे यह भी उल्लेखित कर दिया। इस अध्ययन में केवल तीन वर्णों के गर्भधारण, जन्म, यज्ञोपवित, शिक्षा, ब्रह्मचर्य आदि कर्तव्यों, संस्कारों, विद्याध्यन, आदि का वर्णन है। इनमें शुद्र वर्ग के लिए कुछ नहीं है। श्लोक 2.70 में स्त्रियों को विवाहोपरांत पति के अधीन रखा है। गुरु पुत्र छोटा हो तो भी गुरु समान पूजनीय है (2.212)। गुरु की स्वर्ण पत्नियों गुरु के समान पूजनीय हैं किन्तु गुरु की क्षत्रिय-वैश्य कुल की पत्नियों केवल खड़े होकर नमस्कार किया जाए (2.214)। इसी अध्ययन के श्लोक 217, 218 पर लिखा है कि स्त्रियाँ अपनी श्रंगार चोखाओं द्वारा पुरुषों को मोहित करती हैं, बुरे मार्ग पर ले जाती हैं। 2.138 के अनुसार 100 वर्ष का क्षत्रिय हो, 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक हो तो भी क्षत्रिय पुत्र समान होगा व ब्राह्मण पुत्र पिता तुल्य। 1.240 के अनुसार शुद्र 100 साल का हो तो भी आदरणीय नहीं माना जाए। 3.12 के अनुसार ब्राह्मण वर्ण के बाहर क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र कन्या से विवाह कर सकता है। इसी अध्ययन में लिखा है कि यदि द्विज की पत्नी शुद्र हो तो क्या क्या हानियाँ होंगी। प्रांस भक्षण विरोध पर आजकल कई प्रांस सैनार्थ घूमती-फिरती हैं। 3.271 पर लिखा है कुछ

पशुओं के मांस से पितर कितनी-कितनी अवधि तक खुश रहते हैं। 3.272, 273 के अनुसार खीर से 12 वर्ष पितर तृप्त रहते हैं, कुछ मछलियों, गैंडे, लाल बकरे के मांस से पितर अनन्तकाल तक प्रसन्न रहते हैं। इसी अध्ययन में श्राद्ध कर्म पर कई श्लोक हैं, श्राद्ध किस से, कैसे करवाएँ। मांसाहार पर चेट्टर 5 में भी लिखा है। 5.22-31 अनुसार यज्ञ करने, अपने सेवकों के भोजन के लिए भक्षण योग्य पशु का वध देवोचित व मान्य है। 5.27, 36 के अनुसार ब्राह्मण मांस को विधिपूर्वक पवित्र करे। 5.56 के अनुसार प्राणियों में मांसाहार, मदिरापान, मैथुन स्वाभाविक प्रवृत्त हैं। इनके करने से कोई दोष नहीं। अध्ययन 4 में ब्राह्मण के लिए भी नियम है यथा ब्राह्मण नौकरी नहीं करे, अन्न भंडारण, धनसंग्रह नहीं करे, जीवन यापन के लिए छलकपट नहीं करे और शिल्पउज्ज्वल से ही जीवन यापन करे (4.6 से 11)। कौन से कार्य करे, न करे इनका भी वर्णन है।

अध्ययन 6 में विभिन्न गृहस्थ आदि आश्रमों से सम्बन्धी व आहार सम्बन्धी नियम हैं। अध्ययन 7 में राज व्यवस्था से सम्बन्धित नियम हैं यथा कैसे मंत्री चुने, कैसे और कितना कर लगाकर वसूल करें, व्यवस्था कैसे बनी रहे, दूसरे राजाओं से सम्पर्क आदि। 7.59 के अनुसार राजा को विवस्वसनीय ब्राह्मण मंत्री को सभी कार्यों का भार सौंप देना चाहिए। 8 वें अध्ययन में विभिन्न प्रकार के विवादों के बारे में, विवादों के निपटारे सम्बन्धी नियम हैं। ऋण लेने, देना, लौटना आदि की व्यवस्था, चोरी, डाका, बलात्कार, खेत सीमा विवाद, पशु चोरी आदि विभिन्न प्रकार के अपराधों के मुकद्दमों की सुनवाई, साक्षी कोन हो, साक्ष्य कैसे लिया जाए, किस अपराध के लिए क्या दण्ड हो आदि का वर्णन। 8.46 के अनुसार द्विजातियों (तीन उच्च वर्ग) द्वारा प्रमाणित देश, कुल, जाति के अनुसार नियमों की व्यवस्था बताई है जो अब मान्य नौयोन नहीं। श्लोक 8.88 में बताया है कि

पशुओं के मांस से पितर कितनी-कितनी अवधि तक खुश रहते हैं। 3.272, 273 के अनुसार खीर से 12 वर्ष पितर तृप्त रहते हैं, कुछ मछलियों, गैंडे, लाल बकरे के मांस से पितर अनन्तकाल तक प्रसन्न रहते हैं। इसी अध्ययन में श्राद्ध कर्म पर कई श्लोक हैं, श्राद्ध किस से, कैसे करवाएँ। मांसाहार पर चेट्टर 5 में भी लिखा है। 5.22-31 अनुसार यज्ञ करने, अपने सेवकों के भोजन के लिए भक्षण योग्य पशु का वध देवोचित व मान्य है। 5.27, 36 के अनुसार ब्राह्मण मांस को विधिपूर्वक पवित्र करे। 5.56 के अनुसार प्राणियों में मांसाहार, मदिरापान, मैथुन स्वाभाविक प्रवृत्त हैं। इनके करने से कोई दोष नहीं। अध्ययन 4 में ब्राह्मण के लिए भी नियम है यथा ब्राह्मण नौकरी नहीं करे, अन्न भंडारण, धनसंग्रह नहीं करे, जीवन यापन के लिए छलकपट नहीं करे और शिल्पउज्ज्वल से ही जीवन यापन करे (4.6 से 11)। कौन से कार्य करे, न करे इनका भी वर्णन है।

महिलाओं के सम्बन्ध में 9.3, 9.6 पर लिखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिला को देखभाल, रक्षा के लिए कोई न कोई संरक्षक चाहिए और महिलाओं को उसके अधीन ही रहना चाहिए। 5.150 से 157 तक भी घुमा-फिरकर कुछ ऐसा ही लिखा है। 5.158 पर तो यह भी लिखा है कि स्त्री चरित्रहीन, गुण रहित पति को भी देवता समझे और सेवा करे। 5.160, 161 के अनुसार पति की मृत्यु के बाद स्त्री कन्दमूल खा कर अपना शरीर सुखा ले और भूल कर भी

पपुरना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सात महीने से डॉक्टर नहीं है

मौसमी बीमारियों के चलते स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना ओपीडी में लगभग 150 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं

खेतड़ी, (निर्स)। खेतड़ी उपखंड के पपुरना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पिछले सात माह से डॉक्टर नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गुरुवार को पंचायत समिति में आयोजित जनसुनवाई में एसडीएम सविता शर्मा को ज्ञापन देकर पीएचसी पपुरना में डॉक्टर लगाने की मांग की।



एडवोकेट निरंजन लाल सैनी ने बताया कि राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पपुरना में पिछले 7 महीने से कोई भी डॉक्टर नहीं है। मौसमी बीमारियों के चलते स्वास्थ्य केन्द्र में रोज लगभग ओपीडी में 150 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। खेतड़ी उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा पीएचसी पपुरना ही है। डॉक्टर नहीं होने के चलते मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है।

आमजन को स्वास्थ्य केंद्र का लाभ डॉक्टर के रिक्त पद के चलते नहीं मिल पा रहा है। आत्माकालीन में भी डॉक्टर की अभावता में व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अस्पताल के समयावधि के पश्चात

पपुरना में एसडीएम सविता शर्मा को ज्ञापन देकर पीएचसी पपुरना में डॉक्टर लगाने की मांग की।

कोई भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलता है, जिससे ग्रामीणों एवं मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पपुरना के अंतर्गत नौ सब सेंटर जिनमें

बंधा की ढाणी, लालगढ़, राजकुमारपुरा, जाट की ढाणी, संजयनगर, गाडरटा, प्रतापपुर देवनगर आते हैं और चार बड़ी ग्राम पंचायत का क्षेत्र पपुरना, रामकुमारपुरा, संजयनगर, गाडरटा है

जिनकी आबादी लगभग 36 हजार से अधिक है।

ग्रामीणों ने पीएचसी में जल्द डॉक्टर लगाने की मांग की है। इस दौरान एसडीएम सविता शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से

■ ग्रामीणों ने पंचायत समिति में आयोजित जनसुनवाई में एसडीएम को ज्ञापन देकर पीएचसी पपुरना में डॉक्टर लगाने की मांग की

■ एसडीएम सविता शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया

बात कर जल्द व्यवस्था करवाने का

आश्वासन दिया है। इस मौके पर शुभम महाराणिया, नितेश जागिड़, सुभाष सैनी, मन्खनर लाल, राजेंद्र कुमार टेलर, तोफिक, मनीष सैनी, करमाडी, करण सैनी, विमन, मनजीन, योगेश जांगिड़, जाकिर, राहुल सैनी, जितेंद्र, सोहेल, राकेश कुमार सहित सैकड़ों ग्रामीणजन मौजूद थे।

राशिफल शुक्रवार 13 सितम्बर, 2024



पंडित अनिल शर्मा

भद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, पूर्वाषाढा नक्षत्र रात्रि 9:36 तक, सौभाग्य योग रात्रि 8:48 तक, तैलित करण दिन 11:02 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:24 से मकर राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह,

चन्द्रमा-धनु, मंगल-मिथुन,

बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-

कन्या, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। आज

रामदेव जयन्ती और तेजा दशमी, सुगन्ध, धूप दशमी,

दशावतार जयन्ती व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:47 तक,

लाभ-अमृत 7:47 से 10:31 तक, शुभ 12:23

से 1:55 तक, चर 4:59 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय

6:15, सूर्यास्त 6:30

मेघ नवीन/व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। मित्रों/रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। वाणी की कटुता के कारण परिवार में तनाव हो सकता है।

मिथुन परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवर्तन के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कर्क व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में उचित सहयोग मिल सकता है। दिनचर्या में सुधार होगा।

सिंह नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बन्दे लगे हैं।

कन्या घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बनी रहेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

तुला व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्दे लगे हैं। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मकर घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में आपसी अनबन बढ सकती है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कुम्भ आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियाँ दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्दे लगे हैं। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।